कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 22.02.2026

थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबीरी सूचना पर सर्राफा व्यापारियों से आभूषण खरीद कर भुगतान के रूप में फर्जी पेमेंट एप्स से फर्जी भुगतान कर ज्वेलरी लेकर चले जाने के आरोप में थाना गोपीगंज पर पंजीकृत अभियोगों से संबंधित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 2.81 ग्राम रवां पीली धातु (सोना),176.08 ग्राम सील्ली सफेद घातु (चांदी) व 3000/-रुपया बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण :-

1.वादी मुकदमा दिनेश कुमार पाल पुत्र मक्खन पाल निवासी पुरेशम्भु थाना गोपीगंज (दुकान पाल ज्वेलर्स स्टेशन रोड केडवरिया त्रिमुहानी से पहले) द्वारा दिनांक 13.12.2025 को सूचना दी गई समय दोपहर करीब 2.30 बजें दो व्यक्तियों द्वारा एक जोड़ा पायल (चांदी का वजन 100 ग्राम व एक जोड़ी कान की झाली 1.9 ग्राम व एक मंगलसुत्र वजन 2 ग्राम सोने व चांदी की ज्वेलरी प्राप्त कर फर्जी एप से भुगतान कर ज्वेलरी लेकर चले गये थे।

2.वादी मुकदमा कैलाशनाथ सेठ पुत्र स्व0 रामप्रसाद सेठ निवासी ग्राम तुरन्तपुर (चक मान्धाता) थाना गोपीगंज जनपद भदोही की ज्वेलर्स की दुकान सीखपुर बाजार में है, द्वारा दिनांक 13.02.2026 को सूचना दी गई कि दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जिनसे सोने व चांदी की ज्वेलरी प्राप्त कर फर्जी एप से भुगतान कर ज्वेलरी लेकर चले गये थे।

उपरोक्त घटना के संबंध में क्रमशः मु0अ0सं0.563/25 व मु0अ0सं0.81/26 धारा 318(4)/316(2)/117(2)/61(2) बीएनएस थाना गोपीगंज जनपद भदोही पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिमन्यु मांगलिक , पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्री शुभम अग्रवाल , अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी सूचना पर सर्राफा व्यापारियों से आभूषण खरीद कर भुगतान के रूप में फर्जी पेमेंट एप्स से फर्जी भुगतान कर ज्वेलरी लेकर चले जाने के संबंध में थाना गोपीगंज पर पंजीकृत अभियोगों से संबंधित वांछित अभियुक्तों 01.ज्योतिष दुबे पुत्र अशोक कुमार दुबे निवासी ग्राम नदिनी थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर एवं 02.अजीत कुमार सिंह पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी मुल्हवां थाना पड़री जनपद मिर्जापुर को कस्बा गोपीगंज से तथा ठगी किए गए आभूषणों का क्रय विक्रय करने वाला स्वर्ण व्यापारी अभियुक्त 03. पवन सेठ पुत्र श्यामबाबू सेठ निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर को उसके घर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2.81 ग्राम रवां पीली धातु (सोना), 176.08 ग्राम सील्ली सफेद घातु (चांदी) व 3000/-रुपया बरामद किया गया है।

पूछताछ /अपराध करने के तरीके का विवरण :-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने दिनांक 13.02.2026 को समय करीब 02.00 बजें दिनं मे सीखापुर बाजार मे कैलाश सेठ ज्वेलर्स की दुकान से दो जोड़ी पायल एक सटेदार मीना व सोने का एक जोड़ी टप्स लिए और फर्जी फोन पे एप्स से भुगतान दिखाकर लेकर चले गये, जिसे हम दोनो ने सभी सोने चादी के ज्लेलरी को पवन सेठ पुत्र श्यामबाबू सेठ निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर को 26000/-रुपया में बेच दिया है तथा यह जो मेरे पास से 3000/-रुपया बरामद हुआ है यह रुपया सौरभ मिश्रा व नितिन सेठ ने मेरी पल्सर मोटरसाइकिल से गोपीगंज बाजार पाल ज्वेलर्स स्टेशन रोड से फर्जी एप के माध्यम से लिया था जिसे सौरभ मिश्रा व नितिन पाण्डेय ने पवन सेठ को बेचा है। दोनो अभियुक्तों को साथ लेकर पवन सेठ पुत्र श्यामबाबू सेठ निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर पहुंचा तो पवन सेठ घर पर मौजूद मिला, जिसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.12.2025 को मेरे पास सौरभ मिश्रा व नितिन पाण्डेय आये और मुझे 01 जोड़ा पायल बजन 100 ग्राम, एक जोड़ी कान की छाली 1.9 ग्राम व एक अदद मंगलसूत्र वजन 2.00 ग्राम दिये जिसके एवज में मेरे द्वारा 25000/-रुपये दिया गया तथा दिनांक 13.02.2026 के शाम को मेरे पास ज्योतिष दुबे व अजीत कुमार सिंह आये और मुझे दो जोड़ी पायल एक सटेदार मीना व सोने का एक जोड़ी टप्स दिये और मेंने

कहा कि शेष पैसा सोना चांदी के ज्वेलर्स को गलाकर रवा व सिल्ली बनाकर बेचने के बाद दूंगा, मैने सोना चांदी को गला दिया है तथा सोने के रवा को बेच दिया है तथा चांदी की कुछ सिल्ली बची हुई है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.अभियुक्त ज्योतिष दुबे पुत्र अशोक कुमार दुबे निवासी ग्राम नदिनी थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर उम्र 26 वर्ष

2.अजीत कुमार सिंह पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी मुल्हवां थाना पड़री जनपद मिर्जापुर उम्र 24 वर्ष

3.पवन सेठ पुत्र श्यामबाबू सेठ निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर उम्र 38 वर्ष

अनावरण अभियोग:-

1.मु0अ0सं0563/25 धारा 318(4)/316(2)/117(2)/61(2) बीएनएस थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

2.मु0अ0स0.81/26 धारा 318(4)/316(2)/117(2)/61(2) बीएनएस थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

शेष वांछित अभियुक्तों का विवरण

01.सौरभ मिश्रा पुत्र बब्लू मिश्रा निवासी ग्राम चडैचा थाना जिगना जनपद मिर्जापुर

02.नितिन पाण्डेय पुत्र प्रमोद पाण्डेय निवासी डुगरहा थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

टीम 1-उ0नि0 वीरेन्द्र यादव चौकी प्रभारी नथईपुर,उ0नि0 बनारसी यादव , उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय , हे0क0 मनमोहन, का0 अरविन्द यादव ,थाना गोपीगंज जनपद भदोही

टीम 2-उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय प्रभारी एस0ओ0जी0/ सर्विलांस सेल ,हे0का0 धीरेन्द्र श्रीवास्तव एस0ओ0जी0,हे0का0 नागेन्द्र यादव एस0ओ0जी0,हे0का0 बृजेश सिंह सुर्यवंशी एस0ओ0जी0,हे0का0 राधेश्याम कुशवाहा सर्विलांस सेल,का0 हिमान्शु सिंह एस0ओ0जी0,का0 दीपक यादव एस0ओ0जी0,का0 मन्नु सिंह एस0ओ0जी0,का0 सुनिल पाल एस0ओ0जी0,का0 नीरज यादव सर्विलांस सेल,का0 गोपाल खरवार सर्विलांस सेल,का0 सुनिल कन्नौजिया,का0 राघवेन्द्र कुशवाहा,का0 प्रत्युश पाठक